छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

रिट याचिका (227) क्रमांक 3149/2008

याचिकाकर्ता: अवतार सिंह

विरुद्ध

उत्तरवादीगण: क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण एवं अन्य

आदेश हेतु प्रकरण दिनांक 17.11.2008 को सूचीबद्ध करें।

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश
15.11.2008

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (227) क्रमांक 3149/2008

याचिकाकर्ता:

अवतार सिंह, 44 वर्ष, पिता किक्कर सिंह, देवेन्द्र नगर, रायपुर

विरुद्ध

उत्तरवादीगण:

1. क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, छ.ग. - रायपुर
2. कांकेर रोडवेज, द्वारा प्रबंध भागीदार प्रीतम सिंह गरचा, सिविल लाइन्स, रायपुर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन रिट याचिका</u>

(एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश)

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता के लिए श्री राजा शर्मा, अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 1 के लिए श्री शशांक ठाकुर, पैनल अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 2 के लिए श्री एफ. एस. खरे, अधिवक्ता।

-- निर्णय --

(दिनांक 17.11.2008 को पारित किया गया)

1. इस याचिका द्वारा याचिकाकर्ता ने आक्षेपित आदेश दिनांक 12.06.2008 (अनुलग्नक पी/1) को चुनौती दी है, जो राज्य परिवहन अपील अधिकरण

(जिसे इसके पश्चात "एसटीएटी" कहा गया है) द्वारा पुनरीक्षण क्रमांक 107/2007 (कांकेर रोडवेज विरुद्ध अवतार सिंह एवं अन्य) के प्रकरण में पारित किया गया था, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को रायपुर से धमतरी, कांकेर, कोण्डागांव होते हुए जगदलपुर पहुँच मार्ग पर वाहन क्रमांक **C.G.** 04 **E**-7009 चलाने हेतु दिनांक 01.06.2007 से 31.05.2012 की अवधि के लिए प्रदत्त मंजिली-गाड़ी बस अनुज्ञापत्र दिनांक 26.04.2007 (अनुलग्नक पी/4) को अपास्त कर दिया गया था।

2. संक्षिप्त तथ्य संक्षेप में यह हैं कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 12.03.2007 (अनुलग्नक पी/2) को अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें रायपुर से धमतरी, कांकेर, कोण्डागांव होते हुए जगदलपुर पहुँच मार्ग के लिए वाहन क्रमांक **CG** 04 **E**-0399 का उल्लेख किया गया था। अनुज्ञापत्र प्रदान किए जाने से पूर्व, याचिकाकर्ता ने वाहन क्रमांक **C.G.** 04 **E**-0399 के स्थान पर नए वाहन क्रमांक **C.G.** 04 **E**-7009 को प्रतिस्थापित करने का अनुरोध किया। नए वाहन क्रमांक **C.G.** 04 **E**-7009 के सभी आवश्यक दस्तावेज भी उपलब्ध कराए गए। याचिकाकर्ता की प्रार्थना स्वीकार कर ली गई और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.04.2007 (अनुलग्नक पी/3) द्वारा वाहन क्रमांक **C.G.** 04 **E**-7009 हेतु अनुज्ञापत्र प्रदान कर दिया गया। इससे व्यथित होकर, उत्तरवादी क्रमांक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2/आपत्तिकर्ता ने एसटीएटी के समक्ष इस आधार पर पुनरीक्षण प्रस्तुत किया कि विधि के अधीन आवेदन में उल्लिखित वाहन को दूसरे वाहन से प्रतिस्थापित करना अनुज्ञेय नहीं है।

3. विद्वान एसटीएटी ने पक्षकारों को सुनने के पश्चात, मोटर यान अधिनियम, 1988 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1988') की धारा 83 के उपबंधों का अवलंब लेते हुए यह निर्धारित किया कि परिवहन प्राधिकरण की अनुमति के बिना मंजिली-गाड़ी अनुज्ञापत्र पर वाहन को प्रतिस्थापित करना अनुज्ञेय नहीं है। यह भी निर्धारित किया गया कि धारा 69, 70, 73, 76, 77 और 80 के उपबंध वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लागू नहीं हो सकते हैं। चूँकि आवेदन में वाहन का उल्लेख किया गया था और आवेदन पर विचार उसी विशिष्ट वाहन के आधार पर किया गया था, अतः परिवहन प्राधिकरण की अनुमति के बिना नए वाहन द्वारा प्रतिस्थापन अनुज्ञेय नहीं है। तदनुसार, आक्षेपित आदेश दिनांक 12.06.2008 (अनुलग्नक पी/1) द्वारा पुनरीक्षण स्वीकार किया गया और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 26.04.2007 (अनुलग्नक पी/3) द्वारा प्रदत्त अनुज्ञापत्र (अनुलग्नक पी/4) निरस्त कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राजा शर्मा ने तर्क दिया कि अधिनियम, 1988 की धारा 70 मंजिली-गाड़ी अनुज्ञापत्र के लिए

आवेदन करने का उपबंध करती है, जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियाँ होनी चाहिए, अर्थात् :-

(क) वह मार्ग या वे मार्ग अथवा वह क्षेत्र या वे क्षेत्र जिससे या जिनसे वह आवेदन संबंधित है;

(ख) ऐसे प्रत्येक यान की किस्म और उसमें बैठने की जगह;

(ग) जितनी दैनिक ट्रिपें उपलब्ध कराना प्रस्थापित है उनकी न्यूनतम और अधिकतम संख्या तथा सामान्य ट्रिपों की समय-सारणी ।

(घ) उन यानों की संख्या जिन्हें सेवा बनाए रखने तथा विशेष अवसरों के लिए व्यवस्था करने के वास्ते रिजर्व में रखने का इरादा है;

(ङ) वे इन्तजाम जिन्हें यानों के रखने, अनुरक्षण और मरम्मत के लिए, यात्रियों के आराम और सुविधा के लिए तथा सामान के भंडारकरण तथा निरापद अभिरक्षा में रखने के लिए करने का इरादा है

(च) ऐसे अन्य विषय जो विहित किए जाएं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यह आवश्यक नहीं है कि आवेदन में किसी विशिष्ट वाहन को निर्दिष्ट किया जाए। याचिकाकर्ता ने वाहन के प्रतिस्थापन हेतु प्रार्थना तब की थी, जब मंजिली-गाड़ी अनुज्ञापत्र प्रदान करने का आवेदन क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के समक्ष विचारणाधीन था। अतः, धारा 83 जो अनुज्ञापत्र प्रदान करने के पश्चात परिवहन प्राधिकरण की अनुमति का उपबंध करती है, इस प्रकरण के तथ्यों पर आकर्षित नहीं होती है। इसलिए, अधीनस्थ प्राधिकरण का निष्कर्ष अवैध और दोषपूर्ण है।

5. इसके विपरीत, उत्तरवादी क्रमांक 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एफ. एस. खरे ने अधिनियम, 1988 की धारा 83 के उपबंधों की प्रयोज्यता पर अत्यधिक अवलंब लिया और तर्क दिया कि एक बार अनुज्ञापत्र प्रदान कर दिए जाने के बाद, परिवहन प्राधिकरण की अनुमति के बिना वाहन को प्रतिस्थापित करना अनुज्ञेय नहीं है।

6. प्रतिउत्तर में किए गए कथनों का अवलंब लेते हुए, उत्तरवादी क्रमांक 1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शशांक ठाकुर ने तर्क दिया कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, जगदलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.04.2007 विधिक और उचित था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और संलग्न दस्तावेजों का परिशीलन किया है।

8. यह स्पष्ट है कि वाहन का प्रतिस्थापन अनुज्ञापत्र दिनांक 26.04.2007 को प्रदान किए जाने से पूर्व किया गया था। नए वाहन द्वारा प्रतिस्थापन की प्रार्थना अनुज्ञापत्र प्रदान करने से पूर्व की गई थी और उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया था। वैसे भी, उत्तरवादी क्रमांक 2 वाहन परिवर्तन पर आपत्ति नहीं कर सकता था जब प्रतिस्थापित वाहन तुलनात्मक रूप से नया है। समय वही है, केवल वाहन में परिवर्तन किया गया है। इससे उत्तरवादी क्रमांक 2 को कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि समय के

संबंध में आपत्ति, जो मंजिली-गाड़ी अनुज्ञापत्र द्वारा किसी विशिष्ट मार्ग पर वाहन चलाने के मामले में सबसे महत्वपूर्ण कारक है, प्रभावित नहीं होती है यदि पुराने वाहन को नए वाहन से प्रतिस्थापित किया जाता है।

9. अधिनियम, 1988 की धारा 83 के साधारण पठन से यह स्पष्ट है कि एक बार किसी विशिष्ट वाहन के लिए अनुज्ञापत्र प्रदान कर दिए जाने के बाद, उसे प्राधिकरण की अनुमति के बिना दूसरे वाहन से नहीं बदला जा सकता है। धारा 83 इस प्रकार है:-

> "83. यानों का बदला जाना- परमिट का धारक उस प्राधिकरण की अनुज्ञा से, जिसने परमिट दिया था, परमिट के अंतर्गत किसी यान को उसी किस्म के किसी अन्य यान से बदल सकेगा।।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. वर्तमान प्रकरण में, दिनांक 26.04.2007 से पूर्व याचिकाकर्ता अनुज्ञापत्र धारक नहीं था, जैसा कि अधिनियम, 1988 की धारा 83 की प्रयोज्यता के लिए आवश्यक है, और प्रार्थना अनुज्ञापत्र प्रदान करने से पूर्व की गई थी। अतः, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, जगदलपुर ने कोई त्रुटि नहीं की है। अनुज्ञापत्र प्रदान करने के मामले में सर्वोपरि विचार यात्रियों की सुविधा है न कि अनुज्ञापत्र धारक की। नई बस द्वारा प्रतिस्थापन यात्रियों के लिए अधिक सुविधाजनक और आरामदायक होगा। उड़ीसा उच्च न्यायालय की एक युगल पीठ ने **जदुमणि प्रधान विरुद्ध श्रीनिवास साहू एवं अन्य (ए.आई.आर. 1974 उड़ीसा 202)** के प्रकरण में अभिनिर्धारित किया कि अनुज्ञापत्र प्रदान करने

के लिए सर्वोपरि विचार यात्रा करने वाली जनता की सुविधा है और ऑपरेटर का व्यवसाय केवल एक साधन है।

11. अतएव, मैं यह अभिनिर्धारित करता हूँ कि एसटीएटी द्वारा पारित निष्कर्ष और आदेश विधि के अनुसार पोषणीय नहीं हैं। तदनुसार आक्षेपित आदेश दिनांक 12.06.2008 (अनुलग्नक पी/1) अपास्त किया जाता है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, जगदलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.04.2007 न्यायसंगत, विधिक और उचित है और इस प्रकार उसकी पुष्टि की जाती है।

12. तदनुसार, यह याचिका स्वीकार की जाती है। वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**